फार्म 111
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

बिहारीलाल बनाम भूमिधारी, पाटन

मुकदमा प्रार्थना पत्र 128 भू.रा.अधि.

मु०नं० 5164 सन 2024 औसीनम्बर न.

| हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 128 भू. रा. अधि. दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 27.06.2024 को पेश हो। | |

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

प्रा0 पत्र संख्या:- 304/2024
उनवान बिहारीलाल बनाम भूमिधारी

27/6/24 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तामील सम्यक रूप से होना पायी जाती है बावजूद सम्यक तामील अनु.। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि ख.न. 167, 169 रकबा 1.55 हैक्ट. का प्रार्थी अपने हिस्सेनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। भूमि का दिनांक 14.07.2023 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड **राजस्व ग्राम बगड़ावा पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील पाटन स्थित खसरा नं. 167, 169 रकबा 1.55 हैक्ट.** प्रार्थी की सयुंक्त खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व समस्त खातेदारान व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता है कि **राजस्व ग्राम बगड़ावा पटवार हल्का श्यामपुरा** [illegible] **खसरा नं. 167, 169 रकबा 1.55 हैक्ट.** की प्रार्थी, समस्त खाते[illegible] पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद [illegible] सीमाज्ञान दिनांक 14.07.2023 पत्थरगढ़ी की जावे। दौरा[illegible] पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार पाटन को इस हेतु तहरीर जारी हो। [illegible]वली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 16:46:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner